

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309)

क्रमांक:- एफ.3 (ग)एसीपी/आक्षेप/अलेसे-11/1138

दिनांक :- 22/09/2016

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

विषय :- ए.सी.पी. स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

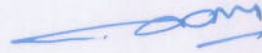
संदर्भ :- विभागीय ए.सी.आर. अनुभाग के यू.ओ.नोट क्रमांक 875 दिनांक 14.09.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विभाग/कार्यालय में कार्यरत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 की एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में उनके नाम के सम्मुख अंकित “आक्षेप विवरण” कॉलम में अंकित कमियां पायी गई हैं। अतः वर्णित कमियों/आक्षेपों की शीघ्र ही पूर्ति करवाकर आवेदन पत्र पुनः भिजवाने का श्रम करावें ताकि एसीपी स्वीकृति सम्बन्धी आगे की कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

क्र. सं.	नाम स.ले.अ. ग्रेड-11/ स.ले.अ. ग्रेड-1 (सर्वश्री)	मेरिट नं०/ लिंक नंबर	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय	आक्षेप विवरण
1	श्री भगवान यादव	522/94	20.03.1971	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, बानसूर, अलवर।	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2014-15 की एपीएआर अप्राप्त एवं एसीपी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
2	श्री बुद्धाराम चौधरी	35/86	10.04.1957	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।	वर्ष 2011-12, 2014-15, 2015-16 की एपीएआर अप्राप्त।
3	श्री हरमिन्दर सिंह मोंगा	829/86	07.03.1964	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, अजमेर।	वर्ष 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2014-15 की एपीएआर अप्राप्त।
4	श्री ओगडराम गर्ग	353/90	10.04.1967	अधीशापी अभियंता, जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर, पाली।	वर्ष 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2014-15 की एपीएआर अप्राप्त।
5	श्री नन्दलाल लाहोरिया	230/81	13.01.1957	कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।	वर्ष 2000-01 से 2008-09 तक की एपीएआर अप्राप्त।
6	श्री रामावतार वर्मा	5320	05.08.1957	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनु।	वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02 की एपीएआर अप्राप्त एवं एसीपी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
7	श्री रविन्द्र सिंह	1273	08.11.1965	समादेशक अधिकारी, 6 राज. बटा.एन.सी.सी., जोधपुर।	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2011-12, की एपीएआर अप्राप्त।
8	श्री सुरेश कुमार शर्मा	830/86	13.07.1964	तहसीलदार, राजगढ़, चुरु।	वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2012-13 की एपीएआर अप्राप्त।

भवदीय



(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक:- एफ.3 (ग)एसीपी/आक्षेप/अलेसे-11/1138

दिनांक :- 22/09/2016.

प्रतिलिपि:-

- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
- निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) वित्त/नियम/2008-I&II दिनांक 31.12.09 के तहत संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान सम्बन्धी शपथ पत्र

मे पद कार्यालय एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या थी:-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या
दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या है।

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

दिनांक:

हस्ताक्षर मेरे सम्मुख किये गये

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर

नाम

पद

मैरिट संख्या

वर्तमान विभाग

दस्तावेज नम्बर-

सन्तोषजनक सेवा आदि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद मैरिट संख्या ने उक्त घोषणा पत्र मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं तथा सेवा पुस्तिका एवं उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री ने कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति होने पर दिनांक को पूर्वाह्न/अपराह्न में कार्यग्रहण किया तथा इनको प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए.सी.पी. दिनांक को देय हो गया है तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं 31.12.2009 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुये यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- इनके विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है। (यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे)
- सेवा पुस्तिका के अनुसार इन्हें ए.सी.पी. देय तिथि से पिछले सात वर्षों से नियमित रूप से वेतन वृद्धियाँ मिल रही हैं तथा इनकी सेवाये संतोषजनक हैं।
- इन्होंने प्रथम पदोन्नति पद पर दिनांक को, द्वितीय पदोन्नति पद पर दिनांक को, तथा तृतीय पदोन्नति पद पर दिनांक को मिली है।
- इनको पदोन्नति प्रथम/द्वितीय/तृतीय ही मिली है।
- इन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय पदोन्नति पर को दिनांक को फोरगो किया है।
- इन्होंने पदोन्नति फोरगो नहीं की है।
- ये पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में वेतन श्रृंखला में पे बैण्ड में दिनांक से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। (प्रति संलग्न करें)
- इनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर जन्मतिथि है।
- 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात नियुक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) नियम 7 (30 A) ने यदि 90 दिन से अधिक की E.O.L. ली है तो E.O.L. की अवधि दिनांक से तक है।
- कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व समान वेतन श्रृंखला में अन्य सरकारी विभाग में की गई सेवा (यदि कोई हो) का विवरण मय सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति के (स्पष्टीकरण दिनांक 31.12.2009 II (iii))
- इन्हें प्रथम चयनित वेतनमान निदेशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत एवं द्वितीय चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. निदेशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत की जा चुकी है। (आदेश प्रति संलग्न करें।)

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर